राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक (आयोजना) शिक्षा विभाग

क्रमांकःप.2(5)शिक्षा-1/प्राशि/2003 जयपुर, दिनांकः अक्टूबर 02, 2010

आज्ञा

भारत के संविधान के 73वें संशोधन की 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों में से राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की आज्ञा क्रमांक एफ.4(2)पंराज/सशक्त/2010/27 दिनांक 02 अक्टूबर, 2010 द्वारा विभिन्न गतिविधियाँ मय फण्डस एवं स्टाफ पंचायती राज संस्थाओं के अधीन करते हुए प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से संबंधित निम्न कार्यकलाप स्थानांतरित किये गये हैं:-

(i). प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण रूपेण पंचायती राज संस्थाओं के अधीन कर दी जावे। खण्ड शिक्षा अधिकारी मय स्टाफ पंचायत समिति व जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) मय स्टाफ जिला परिषद के अधीन कर दिया जावे।

(ii). सम्पूर्ण साक्षरता अभियान तथा साक्षरता एवं सतत शिक्षा से जुडे समस्त कार्य पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिये जावें।

इस संदर्भ में इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक प.2(5)शिक्षा-1/प्राशि/2003 दिनांक 30/06/2003 के अधिक्रमण में (in supersession) निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. राज्य स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा का प्रशासनिक विभाग शिक्षा विभाग होगा। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर एवं निदेशक, साक्षरता एवं सतत शिक्षा, जयपुर शिक्षा विभाग के अधीन होंगे।

2. सम्पूर्ण राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा का नियंत्रण निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बीकानेर के माध्यम से किया जायेगा, सर्व शिक्षा अभियान से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों का नियंत्रण आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर के माध्यम से किया जायेगा, तथा साक्षरता एवं सतत शिक्षा से सम्बन्धित समस्त

गतिविधियों का नियंत्रण निदेशक, साक्षरता एवं सतत शिक्षा, जयपुर के माध्यम से किया जायेगा।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारम्भिक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, तथा साक्षरता एवं सतत शिक्षा से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों, कार्यक्रमों एवं नीतियों आदि के क्रियान्वयन हेतु निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर एवं निदेशक, साक्षरता एवं सतत शिक्षा, जयपुर जिला परिषदों के माध्यम से कार्यवाही करेंगे।

4. जिला स्तर पर जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं उसके अधीनस्थ समस्त स्टाफ जिला परिषदों के अधीन कार्य करेंगें। इ[illegible] शिक्षा अभियान तथा साक्षरता एवं सतत शिक्षा से सम्ब[illegible] स्टाफ भी जिला परिषदों के अधीन कार्य करेंगें।

5. पंचायत समिति स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा के पर्यवेक्षण हेतु कार्यरत ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं उसके अधीनस्थ समस्त स्टाफ, ग्रामीण क्षेत्र के समस्त राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं उनमें कार्यरत अध्यापक सम्बन्धित पंचायत समिति के अधीन कार्य करेंगे। इसी प्रकार पंचायत समिति स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान तथा साक्षरता एवं सतत शिक्षा से सम्बन्धित समस्त स्टाफ भी सम्बन्धित पंचायत समिति के अधीन कार्य करेंगें।

6. जिला परिषदें एवं उनके अधीन कार्यरत अधिकारी सम्बन्धित पंचायत समिति के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही करेंगे। इसी प्रकार विपरीत रूप में ग्रामीण क्षेत्र की प्रारम्भिक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, तथा साक्षरता एवं सतत शिक्षा के सम्बन्ध में समस्त पत्र व्यवहार एवं कार्यवाही पंचायत समिति द्वारा सम्बन्धित जिला परिषदों के माध्यम से की जायेगी।

7. शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले नीतिगत / तकनीकी / सामयिक निर्णयों और दिशा निर्देशों के अध्यधीन रखते हुए प्रारम्भिक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान तथा साक्षरता एवं सतत शिक्षा के समस्त कार्यकलापों का निष्पादन/क्रियान्वयन सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओं यथा जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों द्वारा किया जायेगा।

8. हस्तांतरित स्टाफ भविष्य में पंचायती राज संस्थाओं के अधीन रहते हुए उनके मार्गदर्शन में कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करेगा।

9. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारम्भिक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान तथा साक्षरता एवं सतत शिक्षा से सम्बन्धित समस्त स्टाफ पर प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण के संबंध में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। इसी प्रकार वित्तीय प्रकरणों के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जावे।

10. हस्तांतरित स्टाफ का तकनीकी पर्यवेक्षण पूर्ववत शिक्ष[illegible] अधीन रहेगा।

11. उक्त वर्णित आदेशों के क्रम में इस विभाग द्वारा पूर्व [illegible] गये समस्त आदेश अब उस सीमा तक अधिक्रमित (Superseded) माने जावेंगे, जिस सीमा तक वह इन आदेशों के प्रतिकूल/असंगत होंगे।

12. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

13. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारम्भिक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान तथा साक्षरता एवं सतत शिक्षा से सम्बन्धित समस्त स्टाफ तुरन्त प्रभाव से पंचायती राज संस्थाओं के अधीन कार्यशील माने जावेंगे।

02/01/2010

प्रमुख शासन सचिव
स्कूल शिक्षा विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1- मुख्य मंत्री जी के प्रमुख शासन सचिव
2- विशिष्ठ सहायक, माननीय वित्त मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3- विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4- विशिष्ठ सहायक, माननीय पंचायती राज मंत्री महोदय, राजस्थान,जयपुर
5- विशिष्ठ सहायक, माननीय मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
6- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।